न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

445

निगरानी प्रकरण क्रमांक : –3/2014 R-2180-III/14

1. सुरेश देवी पत्नी श्री गोविन्द सिंह,
2. जगदीश सिंह पुत्र श्री नाथूराम
3. पहलवान सिंह पुत्र श्री बडे
4. मलखान सिंह पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह,

सभी निवासीगण– कस्बा धुवारा, तहसील धुवारा, जिला छतरपुर (म.प्र.)

5. म.प्र. शासन ———आवेदकगण

दिनांक 21/7/14 को रजनी अधिवक्ता शर्मा अधि० द्वारा प्रस्तुत 21-7-14 ASO R.V.Sharma 21/7/14

विरूद्ध

1. देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री उत्तम सिंह,
2. कृष्णा पत्नी श्री निरंजन सिंह
3. प्रभा

निवासीगण– कस्बा धुवारा, तहसील धुवारा, जिला छतरपुर (म.प्र.) ———अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता, 1959 विरूद्ध आदेश न्यायालय तहसीलदार धुवारा जिला छतरपुर म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 67/अ–3/01–02 में पारित आदेश दिनांक 24/04/2014 के विरूद्ध।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से निगरानी अंदर अवधि निम्नानुसार प्रस्तुत है :–

प्रकरण के मुख्य तथ्य : –

1. यह कि, आवेदकगण की ग्राम धुवारा तहसील धुवारा, जिला छतरपुर में खसरा नंबर 2310/4 का रकवा नंबर 0.607 हैक्टेयर पटवारी हल्का नंबर 3 राजस्व निरीक्षक मण्डल धुवारा अनावेदक देवेन्द्र सिंह

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.-2180-तीन/2014

जिला-छतरपुर

सुरेश देवी आदि विरूद्ध देवेन्द्र सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा तहसीलदार धुवारा, जिला- छतरपुर के प्रकरण क्रमांक- 67/अ-3/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 24-04-2014 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 21-07-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर के द्वारा ही	

पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेजा जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 28/01/19
सदस्य